<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा

<u>23 फरवरी, 2022</u>

<u>फौजदारी अपीली संख्या– 37 सन् 2006</u>

मध्य

बलभद्र सिंह और एक अन्य..... अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तराखंड राज्य..... प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ताः श्री पंकज पुरोहित।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से अधिवक्ताः श्री एस.एस. अधिकारी, विद्वान राज्य उप महाधिवक्ता।

<u>माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.</u>

प्रस्तुत अपील अपलार्थी–अभियुक्तगण द्वारा निर्णय और आदेश दिनांकित 21.03. 2006 के विरूद्ध दायर की गयी है जिसे विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग द्वारा सत्र विचारण सं. 5 सन् 2005 ''राज्य बनाम बलभद्र सिंह और अन्य'' में पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण बलभद्र सिंह और श्रीमती शशि देवी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी और 498ए के तहत दोषी ठहराया गया है और भा.दं.सं. की धारा 304बी के तहत दंडनीय अपराध में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है और भा.दं.सं0 की धारा 498ए के तहत अपराध में एक साल के कठोर कारावास के साथ रू0 500/– प्रति अभियुक्त जुर्माने की सजा सुनायी गयी है और जुर्माने की राशि जमा न करने पर अपीलार्थीगण को एक माह के साधारण कारावास से गुजरना होगा। दोनों सजायें एक साथ चलाये जाने का निर्देश दिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक जो कि अभिलेख में दर्ज साक्ष्य के पुनः मुल्यांकन से प्रकट होता है, यह है कि अपीलार्थी– बलभद्र सिंह मृतका श्रीमती सुमति देवी के ससुर व अपीलार्थी– श्रीमती शशि देवी मृतका श्रीमती सुमति देवी की सास थी। श्रीमती सुमति देवी का विवाह राकेश सिंह के साथ वर्ष 2003 में अक्टूबर माह में हुआ था। विवाह के पश्चात् अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण ने उसे रूपये 50,000/– की मांग हेतु परेशान करना शुरू कर दिया। दिनांक 07.01.2005 को लगभग 1.00 बजे, गांव गाडमिल के निवासी ने आकर श्रीमती पीताम्बरी देवी (पी.डब्ल्यू.–2), मृतका की माता और सरदल सिंह (पी.डब्ल्यू.–3) दयाल सिंह का भाई (पी.डब्ल्यू.–1), मृतका के पिता व इस मामले की सूचना देने वाला, को यह सूचना दी कि श्री सुमति देवी दिनांक 06.01.2005 की सांय से लापता थी। अपीलार्थीगण उक्त गांव गाडमिल में निवास कर रहे थे। जिस समय श्रीमती सुमति देवी के गायब होने की सूचना दी गयी थी, उस समय दयाल सिंह (पी.डब्ल्यू.–1) मसूरी में था। इस मामले की सूचना देने वाले को उसके भाई ने टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी। उसी दिन लगभग सांय 4.00 बजे वे सभी कुछ गांव वालों के साथ अपीलार्थीगण के घर पहुंचे। उन्हें देखकर, अभियुक्तगण ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और उन्हें शराब पीने को कहा और उन्हें श्रीमती सुमति देवी को भूल जाने को कहा। इसके बाद वे अपने घर लौट आये। अभियुक्त बलभद्र सिंह के भाई ने सम्बन्धित पटवारी को श्रीमती सुमति देवी के लापता होने की सूचना दी थी। दिनांक 28.01.2005 को लगभग दोपहर 01.00 बजे उन्हें टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति का शव अलकनंदा नदी के किनारे पड़ा है। वे वहां गये और पाया कि वह शव श्रीमती सुमति देवी का था। सम्बन्धित पटवारी मौके पर गये और जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क–9) तैयार की। मृतका का शव पोस्ट मॉर्टम हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। मृतका के शव का पोस्ट मॉर्टम दिनांक 29.01.2005 को डॉ ए.के. रस्तोगी (पी.डब्ल्यू.–6) ने किया था।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–2) मृतका के पति सहित सात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज की गयी। मामले की जांच की गयी और जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र (प्रदर्श क–14) केवल अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध दायर किया गया था।

4. यह मामला सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया। धारा 304बी और 498ए भा.दं.सं. के अन्तर्गत अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। उन्होंने दोषी न होने का तर्क दिया और विचारण का दावा किया।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप सिद्ध करने के लिए कुल आठ साक्ष्यों का परीक्षण करवाया गया।

6. अपीलार्थीगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत परीक्षण किया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनी गयी, साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

8. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित और राज्य की ओर से विद्वान उप महाधिवक्ता श्री एस.एस. अधिकारी को सुना।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को गलत तरीके से फंसाया गया है; मृतका सुमति देवी दिनांक 06.01.2005 की शाम से अपने घर से लापता थी और इस आशय की सूचना अपीलार्थीगर्ण बलभद्र सिंह के भाई द्वारा सम्बन्धित पटवारी को दी गयी थी और मृतका के माता–पिता को सूचना भेजी गयी थी; दोनों परिवारों ने मृतका की खोज की, लेकिन वे असफल रहे; दिनांक 10.01.2005 को मृतका के पिता द्वारा एक एफ.आई.आर दर्ज करवाई गयी, जिसमें उन्होंने अपीलकर्तागण के परिवार के सदस्यों पर अपनी बेटी की हत्या करने का संदेह व्यक्त किया था; उक्त एफ.आई.आर में यह आरोप लगाया गया था कि मृतका के पति सहित परिवार के सभी सात सदस्य दहेज की मांग के सम्बन्ध में मृतका को परेशान करते थे और उसे दहेज में रूपये 50,000/– लाने के लिए धमकाया अन्यथा श्रीमती सुमति देवी को मार देंगे; अन्वेषण के उपरांत, केवल अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया और यह तथ्य झूठे निहितार्थ की पुष्टि करता है; अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की मांग और दहेज की मांग हेतु मृतका को परेशान करने के सम्बन्ध में अभिलेख पर कोई भी निर्णायक और ठोस साक्ष्य नहीं है; मृतका की मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसे दहेज की मांग हेतु प्रताड़ित करने का कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है; हालांकि संदेह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है; शव अपीलार्थीगण के गांव से 3 से 5 किमी0 की दूरी से बरामद हुआ था; डॉक्टर की राय में, मृतका के शरीर पर आई चोटें आकस्मिक गिरने के कारण आ सकती हैं; अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का विद्वान सत्र न्यायाधीश द्व ारा गलत तरीके से मूल्यांकन किया गया।

10. दूसरी ओर राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

11. मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सावधनीपूर्वक मूल्यांकन किया है।

12. पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह, मृतक के पिता और एफ.आई.आर सूचना देने वाले ने बयान दिया है कि उनकी बेटी श्रीमती सुमति देवी की शादी राकेश सिंह के साथ घटना से दो साल पहले हुयी थी। उसे कई मौकों पर दहेज की मांग के सम्बन्ध में अपने पति और अपीलार्थीगण की क्रूरता व उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। श्रीमती सुमति देवी ने उन्हें कई बार बताया था, हालांकि, उन्होंने हमेशा मामले को निपटाने की कोशिश की। उसने कहा कि घटना की तारीख से एक महीने पहले, उसकी बेटी घर आयी थी और उसे बताया कि अभियुक्तगण व्यक्ति रूपये 50,000/– दहेज के रूप में मांग रहे थे और वे लोग लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उसने व उसकी पत्नी ने उसे समझाया। वह अपने ससुराल लौट गयी। दिनांक 07.01.2005 को उसे टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली कि उसकी बेटी लापता थी। वह दिनांक 08.01.2005 को मसूरी से लौट आया। उसने धारा 156(3) दं.प्र.सं0 के अन्तर्गत दर्ज अपने प्रार्थना पत्र (प्रदर्श क–1) को सिद्ध किया।

13. पी0डब्ल्यू0–2 श्रीमती पीताम्बरी देवी, मृतका की माता, ने बयान दिया कि कई मौकों पर दहेज की मांग के सम्बन्ध में उसकी पुत्री का उसके पति और दोनों अपीलार्थीगण द्वारा उनकी बेटी के साथ क्रूरता और उसका उत्पीड़न किया गया। उसने कहा कि उसकी बेटी उसके घर आयी थी और बताया था कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज के रूप में रूपये 50,000/– की मांग कर रहे थे। उसने उसे समझाया। दिनांक 07.01.2005 को उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी लापता है। उसके पति उस दिन मसूरी में थे।

14. पी0डब्ल्यू0–3 सरदल सिंह, सूचना देने वाले का बड़ा भाई, ने साक्ष्य दिया कि अभियुक्तगण व्यक्ति दहेज की मांग कर रहे थे और मृतका को परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे।

15. पी0डब्ल्यू0–4 जसबीर सिंह, मृतका का भाई, ने बयान दिया कि अपीलार्थीगर्ण बलभद्र सिंह ने उसके पिता को धमकी दी थी कि अगर उसे रूपये 50,000/– नहीं मिले तो यह अच्छा नहीं होगा। उसने कहा कि वह अपनी बहन के ससुराल जाया करता था, वहां उसके ससुर व सास दहेज की मांग किया करते थे।

16. पी0डब्ल्यू0–5 प्रेम सिंह, पटवारी, चिक एफ.आई.आर (प्रदर्श क–2) के लेखक हैं।

17. पी0डब्ल्यू0–6 डॉ0 ए.के. रस्तोगी ने मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित एंटीमॉर्टम चोटें पाई गईः–

(1) माथे पर बायीं तरफ दबा हुआ घाव, जिसकी माप 6 X 3 सेमी. थी। वहां हेमोटोमा था।

(2) सिर के सामने की हड्डी टूट गयी थी। खोपड़ी को खोलने पर, मस्तिष्क के पूर्व भाग पर हेमेटोमा था।

दाहिना फेफड़ा कंजेस्टेड था। पित्ताशय की थैली कंजेस्टेड था, प्लीहा भी कंजेस्टेड था। पेट में अपचित भोजन पाया गया। दोनों आंखें बंद थी। मस्तिष्क कंजेस्टेड था। खोपड़ी पर एंटीमॉर्टम घाव पाये गये और खोपड़ी टूट गयी थी। झिल्ली कंजेस्टेड थी।

मृतका सुमति देवी की आयु लगभग 21 वर्ष थी। बकल कैवेटी व फैरेंक्स में सूजन थी।

अपनी प्रतिपरीक्षा में डॉक्टर ने कहा कि उक्त चोटें दुर्घटनावश किसी पत्थर पर गिरने के कारण आना सम्भव हैं।

18. पी0डब्ल्यू0–7 नंदू दास, पटवारी द्वारा उस स्थान का मौका नक्शा (प्रदर्श क–7) तैयार किया गया जहां से मृतका का शव प्राप्त हुआ था। उसने जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क–9) को भी सिद्ध किया।

19. पी0डब्ल्यू0–8 द्वारिका प्रसाद भट्ट, नायब तहसीलदार ने आरोप पत्र (प्रदर्श क–14) दायर किया था।

20. भा0द0स0 की धारा 304बी में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जहां किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है और यह सिद्ध कर दिया गया है कि महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसे उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जाएगा और उसके पति या उसके रिश्तेदारों को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

21. दहेज मृत्यु के लिए निम्नांकित आवश्यक तत्व हैं :–

(1) एक विवाहित महिला;

(2) उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, जिसमें जलने या शारीरिक चोट या जहर आदि से मृत्यु सम्मिलित है;

(3) ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई है;

(4) यह पाया जाना आवश्यक है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसे उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के सम्बन्ध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

22. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी के उपबंध में उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण के आधार पर ही न्यायालय दहेज मृत्यु की उपधारणा करेगा। निम्नलिखित तत्वों के आधार पर ही उपधारणा की जाएगी :–

(1) न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने महिला की दहेज के लिए हत्या की है?

(2) महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो;

(3) दहेज की मांग के सम्बन्ध में ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो;

(4) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही की गयी हो।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2020 को **'संदीप कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 2020 एस.सी.सी ऑनलाईन एस.सी. 980'**, में यह निर्णय पारित किया गया है कि भा.दं.सं. की धारा 304बी के अन्तर्गत अपराध तत्व पूर्ण रूप से निर्धारित हैं। विवाह महिला की मृत्यु से पहले सात वर्षों के भीतर किया गया हो। मृत्यु अप्राकृतिक होनी चाहिए। मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही मृतका को दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। इसे दहेज मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी अभियोजक के बचाव में यह उपधारणा करती है कि कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण है, यदि यह प्रमाणित किया जाये कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग या उसके सम्बन्ध में उसके साथ क्रूरता या उसका उत्पीड़न किया गया हो।

24. दयाल सिंह (पी0डब्ल्यू0–1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि घटना के समय वह साईकिल–रिक्शा चला रहा था और अपीलार्थीगर्ण बलभद्र सिंह जानता था कि वह साईकिल–रिक्शा चलाता था। अपीलार्थीगर्ण बलभद्र सिंह जानता था कि वह (दयाल सिंह) दहेज देने की स्थिति में नहीं था, इसके बाद भी वह (बलभद्र सिंह) विवाह के लिए तैयार था। दयाल सिंह (पी0डब्ल्यू0–1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि विवाह के बाद उसने (बलभद्र सिंह) एक टी.वी व सी.डी. प्लेयर खरीदा था और मृतका को उसके मनोरंजन हेतु दिया था। उसने कहा कि जब मृतका घटना से एक माह पूर्व उसके घर आयी थी तब वह घर पर ही था। लेकिन उसने दहेज उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं की। सरदल सिंह (पी0डब्ल्यू0–3), शिकायतकर्ता दयाल सिंह (पी0डब्ल्यू0–1) का भाई, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि जब भी वह मृतका के ससुराल गया, उसका पूरा अतिथि सत्कार किया गया। जसबीर सिंह (पी0डब्ल्यू0–4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि जो बयान उसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिये हैं, वह बयान उसने पूर्व में दिये अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नहीं दिये थे। इसीलिए जहां तक दहेज की मांग का सम्बन्ध है, इस न्यायालय का विचार है कि यह अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि मृतका को दहेज की किसी भी मांग के सम्बन्ध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

25. मृतका की मृत्यु प्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी और शादी की तारीख से सात साल के भीतर उसकी मृत्यु हो गयी थी, इस पर कोई विवाद नहीं है। जिस तथ्य का पता लगाया जाना है, वह यह है कि क्या मृतका को उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह, पिता व पी0डब्ल्यू0–3 सरदल सिंह, मृतका का भाई के साक्ष्यों से सपष्ट है कि मृतका को उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह, मृतका के पिता, ने एक महीने पहले हुई घटना का उल्लेख किया है जब वह अपने माता–पिता के घर गयी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है कि उस समय के दौरान अर्थात् एक महीने के भीतर मृतका के विरूद्ध कोई उत्पीड़न या क्रूरता हुई हो। इसीलिए इस न्यायालय की राय में, मृतका की मृत्यु से कुछ समय पूर्व मृतका के दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रूरता का सामना करने के सभी आवश्यक तत्वों को अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया है।

26. पी0डब्ल्यू0–1 दयाल सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि दिनांक 06.01.2005 को मृतका गाय का गोबर डालने खेत में गयी थी और वह वहां से घास काटने चली गयी थी। अपीलार्थीगण का दावा है कि घास काटते समय वह फिसल गई और पहाड़ी की ढलान से गिर गयी, और इसीलिए उसे केवल एक चोट आयी और उस चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। अभियोजन साक्षी डॉ. ए.के. रस्तोगी (पी0डब्ल्यू0 6) अपीलार्थीगण के दावे की पुष्टि करते हैं। डॉ0 ए.के. रस्तोगी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बतायी गयी चोटें पत्थरों पर दुर्घटनावश गिर जाने के कारण आनी सम्भव हैं। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि

चोट नं. 1 ऊंचे स्थान से मुंह के बल गिरने के परिणामस्वरूप आनी सम्भव है। इसीलिए इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में, इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मृतका ऊंचाई से पत्थरों पर गिर गयी हो जिसके कारण उसे चोटें आयी हों और उक्त एंटी मॉर्टम चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई हो।

27. मृतका की मृत्यु और दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न या उस पर की गयी क्रूरता के बीच बोधगम्य सम्बन्ध होना चाहिए। यह भी सुस्थापित है कि यदि इस प्रकार के उत्पीड़न या उस पर की गयी क्रूरता और उसकी मृत्यु के बीच अंतराल बहुत अधिक है, तो न्यायालय इस स्थिति में यह अनुमान लगा सकती है कि मृत्यु उसकी तत्काल मृत्यु का कारण नहीं है।

28. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. अधिकारी ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थीगण द्वारा मृतका का उत्पीड़न किया गया था और उन्होंने अपने क्रूर व्यवहार के कारण मृतका को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया।

29. दुरूत्साहन, प्रेरित करना, उकसाना, उत्तेजित करना या ''एक कार्य'' करने को प्रोत्साहित करना है। भड़काव के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव तक वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, फिर भी परिणाम के लिए उकसाने में उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।

30. दुष्प्रेरण किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी कार्य को करने में जानबूझकर सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या सहायता करने के सकारात्मक कृत्य के बिना दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ऐसा सक्रिय कृत्य या प्रत्यक्ष कृत्य की आवश्यक है जिसके कारण मृतका को आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं दिखा और ऐसे कार्य का उद्देश्य मृतका को आत्महत्या करने वाली परिस्थिति में धकेलना था।

31. प्रस्तुत अपील में, अभिलेख पर ऐसा कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थीगण ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियां पैदा की थीं कि मृतका के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भगवान सिंह व अन्य बनाम म.प्र. राज्य (2002) 4 एस.सी.सी 85,** में यह देखा कि आपराधिक मामले में न्याय प्रशासन में जो एक स्वर्ण धागा चलता है वह यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से दो विचार सम्भव हों, एक जो अभियुक्त को दोषसिद्ध बनाता हो और दूसरा निर्दोष, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो वह अपनाया जाना चाहिए।

33. न्यायशास्त्र का यह भी बुनियादी नियम है कि संदेह, हालांकि, दृढ़ हो पर साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य, ए.आई.आर 2013 एस.सी. 3817,** में यह अभिनिर्धारित किया कि संदेह, चाहे कितना ही गंभीर हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, और कुछ ''सिद्ध किया जा सकता है'', और जो

''सिद्ध किया जायेगा'' उसके बीच में बड़ा अंतर होता है। आपराधिक परीक्षण में, संदेह चाहे कितना मजबूत हो, साक्ष्य का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही दी जानी चाहिए। यही कारण है कि ''हो सकता है'' और ''होना ही चाहिए'' के बीच मानसिक अंतर काफी बड़ा है, कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को अलग करता है। आपराधिक प्रकरण में न्यायालय का कर्तव्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह कानूनी साक्ष्यों का स्थान न ले। अभियुक्त को दोषी ठहराये जाने से पहले ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच की बड़ी दूरी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्यों के माध्यम से आच्छादित किया जाना चाहिए और मूल व स्वर्ण नियम को लागू किया जाना चाहिए।

34. आपराधिक मामले में, जिन परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि का परिणाम निकाला जायेगा, उन्हें पूर्णतः स्थापित करने की जिम्मेदारी अभियोजन की होती है। अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने के लिए केवल अनुमान से कुछ अधिक की आवश्यकता है। अभियोजन को सभी उचित संदेह से परे यह सिद्ध करना है कि मृतका को अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की मांग या उसके सम्बन्ध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दहेज मृत्यु का अनुमान लगाने के क्रम में, पहले शर्त यह है कि दहेज मांग के सम्बन्ध में निर्विवाद साक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते हैं। इस मामले की परिस्थितियां अपीलार्थीगण पर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भा.दं.सं. की धारा 304बी या धारा 498ए के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि अभिलेख पर ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलार्थीगण ने मृतका के साथ क्रूरता की थी।

35. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विस्तृत परीक्षण और समीक्षा के आधार पर इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन सभी उचित संदेह से परे अपीलार्थीगण पर लगे आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा है। वे संदेह के लाभ के अधिकारी हैं।

36. परिणामस्वरूप यह न्यायालय अपीलार्थीगण के दावे को स्वीकार करता है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

37. सत्र परीक्षण संख्या 05 सन् 2005 ''राज्य बनाम बलभद्र सिंह और शशि देवी'' में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय और आदेश दिनांक 21.03.2006 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी व 498ए के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। उनकी जमानत निरस्त की जाती है तथा जमानती उन्मोचित किये जाते हैं। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

38. अपीलार्थीगण, बलभद्र सिंह और श्रीमती शशि देवी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437ए का अनुपालन करें और सम्बन्धित न्यायालय को संतुष्ट करते हुये व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों का निष्पादन करें जो छः माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

(आलोक कुमार वर्मा, जे.)
23.02.2023